500 गीगावॉट के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए मप्र प्रतिबद्ध

नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा

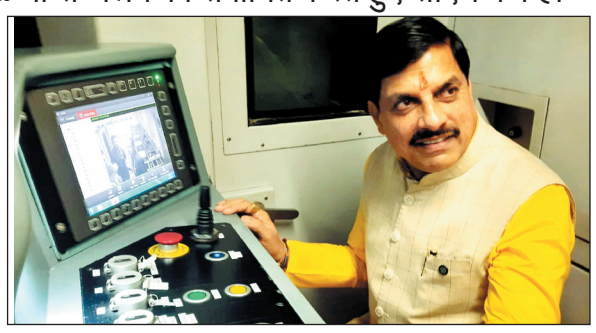

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि मप्र वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगा वॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य नवकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. मप्र. आज देश के अग्रणी राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है.मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के माध्यम से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा कर स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया. दिल्ली मेट्रो अपने संचालन में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने हरित ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में मेट्रो से यात्रा की. 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला आधारित विद्युत से भी कम स्थापित किया. इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेन्ट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ तथा इसकी केस स्टडी हावर्ड युनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है. वहीं 1,500 मेगावाट आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना में 2.14 रूपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ प्राप्त हुआ है और इससे भारतीय रेलवे को 8 राज्यों में हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है.

मप्र के ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का प्रजेंटेशन

नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2026 में मप्र ने स्वच्छ एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना का प्रभावी प्रेजेंटेशन दिया. सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी विशेष रूप से मौजूद थे.

सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में 14900 मेगावाट के प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 278 मेगावॉट क्षमता की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया. इसके साथ ही सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के तहत लगभग 14,900 मेगावॉट क्षमता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें किसानो की उल्लेखनीय भागीदारी रही है.

12 वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा में हुई अद्भुत वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मप्र की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावॉट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई है, जो लगभग 25 गुना वृद्धि है. पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण तथा बायोमास नीतियां लागू कर निवेश और नवाचार को नई दिशा दी है.

हितग्राही मूलक योजनाओं का परीक्षण करेगी सरकार

- उच्च स्तरीय समिति की गई गठित
- एक माह में प्रतिवेदन सौंपेगी समिति

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 अगस्त. मप्र शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें और अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख एवं जनहितकारी बनाने के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. समिति एक माह की अवधि में अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी.

सामान्य प्रसासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन कार्मिक विभाग सदस्य होंगे. सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सदस्य-सचिव नामित किया गया है.

इंदौर में आज जुटेंगे 7 राज्यों के पुलिस प्रमुख

साइबर ठगी, ड्रग्स नेटवर्क और राज्यों की सीमा पार छिपे अपराधियों पर होगा मंथन

अंतर्राज्यीय अपराध पर बनेगी संयुक्त रणनीति

नव भारत न्यूज

इंदौर, 6 अगस्त. अंतर्राज्यीय अपराधों पर लगाम लगाने और राज्यों के बीच पुलिस समन्वय मजबूत करने के लिए इंदौर में पश्चिमी जोन की 13वीं उच्चस्तरीय पुलिस को-ऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी.

ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस बैठक में सात राज्यों के पुलिस महानिदेशक और केंद्र शासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली एवं दमन दीव के पुलिस महानिरीक्षक शामिल होंगे. कॉन्फ्रेंस में संगठित साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क और दूसरे राज्यों में छिपकर वारदात करने वाले बदमाशों की धरपकड़ को लेकर चर्चा होगी. बैठक में विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच सूचनाओं के तुरंत आदान प्रदान और संयुक्त कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाएगी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड के गिरोह कई राज्यों में सक्रिय हैं. इसी तरह ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क और संगठित अपराध से जुड़े आरोपी भी वारदात के बाद दूसरे राज्यों में शरण ले लेते हैं. ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है. बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा और मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी जोन के राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे.

संयुक्त चर्चा होगी..

कॉन्फ्रेंस में अंतर्राज्यीय अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, सूचना साझा करने और संयुक्त कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाएगी.

-अमन सिंह राठौर
डीसीपी जोन 2

फतवे के आधार पर तलाक नहीं, कानूनी प्रक्रिया जरूरी : हाईकोर्ट

- हाईकोर्ट ने किया फतवे का गहन अध्ययन
- कोर्ट ने पाया उसमें निकाह खत्म करने की घोषणा नहीं

भोपाल की दारुल-दफा मस्जिद कमेटी के फतवे से जुड़ा मामला

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 6 अगस्त. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विव.क जैन की एकलपीठ ने मुस्लिम विवाह-विच्छेद से जुड़े अहम मामले में स्पष्ट किया है कि केवल फतवे के आधार पर निकाह खत्म नहीं माना जा सकता.

धार्मिक संस्था या मसाजिद कमेटी धार्मिक राय दे सकती है, लेकिन कानूनी रूप से विवाह समाप्त करने का अधिकार सक्षम अदालत के पास है.

दरअसल, यह मामला भोपाल की दारुल-दफा मसाजिद कमेटी के फतवे से जुड़ा था. पति चाहता था कि फतवे के आधार पर उसका निकाह खत्म मान लिया जाये, जबकि पत्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि फतवा कानूनी तलाक नहीं है, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा.

हाईकोर्ट ने फतवे का अध्ययन किया. कोर्ट ने पाया कि उसमें निकाह खत्म करने की घोषणा नहीं, बल्कि इस्लामी ग्रंथों के आधार पर पत्नी की कथित क्रूरता जैसी परिस्थितियों पर धार्मिक मार्गदर्शन दिया गया था. इसलिए इसे कानूनी तलाक नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई मदरसा, धार्मिक शिक्षण संस्था या मस्जिद कमेटी मुस्लिम पुरुष को कानूनी तलाक नहीं दे सकती. पति चाहे तो पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका दाखिल कर सकता है.

मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम 1939 भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकता. हाईकोर्ट ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11 के तहत मौजूदा वाद खारिज करते हुए नई तलाक याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है.

हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीआईएल खारिज

अपराध दर्ज होने के साथ ही विस्फोटक मशीनरी हो चुकी है जब्त

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 6 अगस्त. मप्र हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें खंडवा के ग्राम खैरला में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किये जाने को चुनौती दी गई थी.

एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ को शासन की ओर से बताया गया कि पूर्व में ही अनावेदक के खिलाफ वन विभाग ने अपराध दर्ज कर मशीनरी जब्त करने की कार्रवाई की है. उक्त जवाब के बाद न्यायालय ने कहा कि जब पहले ही कार्रवाई हो चुकी है तो आगे की कार्रवाई भी गुण दोष और कानून के तहत होगी. न्यायालय ने उक्त मत के साथ दायर पीआईएल खारिज कर दी. दरअसल यह जनहित याचिका ग्राम पंचायत खैरला के सरपंच नंदराम की ओर से दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था अनावेदक दिनेश शर्मा ज्यादा क्षमता वाले विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा है.

गौधाम के कार्यों की नियमित समीक्षा करें : शुक्ल

- समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिए निर्देश

भोपाल, 6 अगस्त. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में बसामन मामा गौ अभ्यारण्य तथा हिनौती गौधाम के विकास कार्यों की समीक्षा की.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक गौशालाएं निराश्रित और बीमार गौवंश को आश्रय देने के साथ-साथ प्राकृतिक खेती का संदेश दे रही हैं. बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में प्राकृतिक खेती का सफल माडल विकसित किया गया है. हिनौती गौधाम में भी प्राकृतिक खेती के माडल का विकास करें. गौ अभ्यारण्य और गौधाम को प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण और शोध का केन्द्र बनाएं. हम सबको स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक खेती को ही अपनाना होगा. जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक खेती ही अंतिम उपाय है. बसामन मामा मोड़ से गौ अभ्यारण्य तक सड़क के दोनों ओर 30 अगस्त को पीपल के पौधे रोपित किए जाएंगे.

एयरपोर्ट में नौकरी का झांसा देकर 5 .29 लाख ठगे

नव भारत न्यूज

इंदौर, 6 अगस्त . एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर तीन युवाओं से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है.

आरोपी ने फर्जी ऑफर और जॉइनिंग लेटर देकर पीड़ितों को भरोसे में लिया और अलग अलग किस्तों में 5 लाख 29 हजार 49 रुपए ले लिए. जब युवक जॉइनिंग के लिए पहुंचे तो दस्तावेज फर्जी निकले. शिकायत के बाद तुकोगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. पीड़ित अमित कुमार प्रजापति, रितेश वर्मा और मनस्वी गहलोत ने वर्ष 2024 और 2025 में एमजी रोड स्थित अक्शा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से एविएशन और क्रू मेंबर से जुड़े कोर्स किए थे.

पीएम मोदी ने की राष्ट्रीय हथकरघा मनाने की अपील

नई दिल्ली, 6 अगस्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पहले अपना नया इंस्टाग्राम वीडियो जारी किया है.

वीडियो में उन्होंने देशवासियों से सात अगस्त को पूरे उत्साह और उमंग के साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की अपील की. प्रधानमंत्री ने कहा कि हथकरघे से बुने हुए कपड़े खरीदना केवल कपड़ा खरीदना नहीं, बल्कि देश के लाखों बुनकर और गरीब परिवारों की आजीविका को मजबूत करना है. उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाने और सोशल मीडिया के जरिए भी इसे बढ़ावा देने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सात अगस्त का दिन देश के इतिहास में विशेष महत्व रखता है. उन्होंने कहा कि जैसे लोग फ्रेंडशिप डे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, उसी तरह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाना चाहिए.

सरेंडर से पहले सोनम के साथ रुका था परिवार

इंदौर, 6 अगस्त. कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुनवाई के दौरान अब घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है.

शिलांग कोर्ट से लौटे राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के आत्मसमर्पण से पहले उसका परिवार भी कई दिनों तक उसी गेस्ट हाउस में ठहरा था, जहां सोनम रह रही थी.

उन्होंने जांच एजेंसियों से गेस्ट हाउस के अभिलेख और वहां जमा कराए पहचान पत्रों की पड़ताल करने की मांग की है. दूसरी ओर, सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने इन आरोपों को पूरी तरह असत्य बताया है. राजा के भाई विपिन ने बताया कि उन्हें न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर जब्त किए आभूषण दिखाए, जिनकी पहचान कराई गई.

सिंहस्थ में एआई से होगी निगरानी

उज्जैन. सिंहस्थ महाकुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राकेश गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन और पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सिंहस्थ-की प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि 9 अप्रैल से 8 मई तक प्रस्तावित महाकुंभ में करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
मंडल कार्यालय, अरेरा हिल्स, भोपाल, फोन नं. 0755-2550020

निरस्तीकरण सूचना

दिनांक 06.08.2026 को नवभारत भोपाल में प्रकाशित सरफेसी एक्ट के अंतर्गत संपत्ति की विक्रय सुचना प्रकाशित की गई थी जिसमें **अब्दुल बासित खान पुत्र ए.डब्लु खान** की संपत्ति की नीलामी सूचना दिनांक 24.08.2026 वाली को निरस्त पढ़ा जावें।

दिनांक : 07.08.2026
स्थान : भोपाल
प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक

पश्चिम मध्य रेल

ई निविदा सूचना

दिनांक : 28-7-2026, डीजल लोको शेड वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक को 15:00 बजे तक ई-टेंडर आमंत्रित करते हैं, जो उसी दिनांक को 15:30 बजे खोले जाएगें। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस टेंडर के लिए कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है तथा यदि कोई मैन्युअल ऑफर प्राप्त भी होता है तो वह मान्य नहींकिया जाएगा। इस निविदा में कोई आवश्यकसंशोधन, यदि जरुरी हो तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) पमरे इटारसी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा, जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है **निविदा सूचना संख्या** : ET-D-AXLEDRIVE-1, **दिनांक** : 28-Jul-2026, **कार्य का नाम** : डीजल लोको शेड, इटारसी में टावर वैगन टाइप मार्क IV के फूलटास मेक के एक्सल ड्राइव का पी ओ एच शेड्यूल, **कार्य की अवधि** : 6 माह, **निविदा की अनुमानित लागत रु** : रु 6,15,448.67 रुपए छह लाख पंद्रह हजार चार सौ अड़तालीस और सड़सठ पैसे मात्र।, **निविदा की बयाना राशि रु** : रु 12,300.00 रुपए बारह हजार तीन सौ मात्र, **ई निविदा प्रपत्र मूल्य** : कुछ नहीं, **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय** : 19-Aug-2026 15:00 बजे निविदाकर्ता/बिडर के पास क्लासIII डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है एवं IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। केवल पंजीकृत निविदाकर्ता/बिडर ही ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते हैं। ई-टेंडरिंग के दौरान ही सभी दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पेमेंट गेटवे के द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। बयाना राशी का भुगतान ऑन लाइन मल्टिपल नेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है।

वरि. मण्डल यांत्रिक इंजी. (डी)
पश्चिम मध्य रेल, इटारसी

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

कॉरपोरेट कार्यालय: सी-56/ए-17, सेक्टर-62, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201307, फोन : 0120-4177850

आरएफपी संख्या (RFP No.): BECIL/Proj/Rental - EV/2025 दिनांक : 21/07/2026

किराए के आधार पर ईवी (EV) चार्जर्स के लिए एनआईटी (NIT) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम, बेसिल, निम्नलिखित निविदा (टेंडर) के लिए पात्र बोलीदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है :

शीर्षक : निश्चित किराए के आधार पर बेसिल के पास उपलब्ध इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जर्स को किराए/पट्टे (हायर/लीज) पर लेने के लिए बोली दाताओं का चयन

टेंडर आईडी : 2026_BECIL_845557_1

प्रकाशन तिथि : 21 जुलाई 2026

आरएफपी (RFP) दस्तावेज बेसिल की वेबसाइट (https://www.becil.com) और भारत सरकार के पोर्टल (https://eprocure.gov.in) पर उपलब्ध होंगे। यदि आवश्यक हो, तो आगे की जानकारी [यानी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन आदि] केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही अपलोड की जाएगी। बेसिल के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

हस्ताक्षर/-
उप महाप्रबंधक
बेसिल (BECIL)

CBC 22113/12/0004/2627

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्या.

कार्यालय महाप्रबंधक (संपदा/निर्माण), संभाग क्र. 1
पंचानन भवन द्वितीय तल, मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क्रमांक : 0755-2673196
E-mail : laghubpl01@gmail.com
क्रमांक: लउनि /निर्माण/संभाग क्र. 1, भोपाल/2026-27/59
भोपाल, दिनांक : 06.08.2026

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्य की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति से वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है : **कार्य का नाम**- औद्योगिक क्षेत्र, इछावर जिला सीहोर में बाह्य विद्युतीकरण अंतर्गत 5 एम.व्ही.ए. सबस्टेशन स्थापना, 33 के.व्ही. लाइन, 11 के.व्ही. लाइन का कार्य, (द्वितीय आमंत्रण) अनुमानित लागत राशि रु. 2,77,67,505/- निविदा की समस्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर दी जावेगी। निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है, तो वह उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

म.प्र. माध्यम/127416/2026 महाप्रबंधक (सं./नि.)

विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग, भोपाल

क्रमांक / 3051 / विपुस्था/2026 भोपाल, दिनांक- 31/07/26

सी.सी.टी.व्ही. वीडियो कैमरे इन्स्टॉल हेतु ई-निविदा सूचना आमंत्रण

विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग, भोपाल के कार्यालय हेतु 45 नग CCTV VIDIO CAMERA कैमरे इन्स्टॉल करवाने के कार्य के संबंध में ई-निविदा https://mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है.

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन का शुल्क रु .1000/- (रुपये एक हजार मात्र) है, जो कि निविदाकर्ताओं को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन चालान के द्वारा Department of Finance Government of Madhya Pradesh के Head of Account 0070-60-00-000 में जमा कर चालान की प्रति तकनीकी/वित्तीय निविदा दोनों में पृथक-पृथक अपलोड की जाना अनिवार्य है. उक्त के अभाव में ई-निविदा मान्य नहीं होगी.

ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की गई हैं :-

01- ऑनलाइन निविदा जमा करने की प्रारंभ दिनांक 07.08.2026 समय सुबह 10:00 बजे से दिनाक 22.08.2026 सुबह 10.00 बजे तक.

02- ऑनलाइन प्राप्त निविदाओं में सर्वप्रथम तकनीकी निविदाएं दिनांक 24.08.2026 को समय दोपहर 12.00 बजे अथवा उसके उपरांत विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग परिसर, भोपाल में खोली जावेंगी. तत्पश्चात तकनीकी निविदाओं में पात्र पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदाएं दिनाक 25.08.2026 को समय दोपहर 03.00 बजे अथवा उसके उपरांत खोली जावेंगी.

निविदा संबंधी शेष शर्तें निविदा प्रपत्र में दी गई हैं.

G16776/26

पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना
लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग भोपाल

भारत सरकार
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र (सी-पेस)
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7वीं मंजिल प्लाट पी-6-7-8, से.- 5, आई.एम.टी.
मानेसर गुड़गांव, हरियाणा-122050
ई-मेल : roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

(कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में)

सार्वजनिक नोटिस : आरओसी/सी-पेस/एसटीके-2/248 (2)/2026-27/918 दिनांक : 28/7/2026

संदर्भ

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (37) कम्पनियों का नाम **मध्यप्रदेश** राज्य से हटाने के मामले में :-

S.NO	Work Item	CIN	Company Name Hindi
1	AC4590844	U35105MP2025PTC077442	मेकपावर ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AC4631704	U68200MP2025PTC076753	मां रुद्राणी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
3	AC4482890	U10790MP2025PTC076633	श्नेल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AC4636350	U55101MP2025PTC074486	आरएसएन रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AC4585344	U46900MP2024PTC072875	एमएसएम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AC4301382	U62099MP2024FTC072477	फाइनेंशियल हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	AC3958846	U43299MP2024PTC069820	स्काई ब्लू इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
8	AC4648701	U32111MP2024PTC069850	ला सेलेस्टा प्राइवेट लिमिटेड
9	AC4496681	U68200MP2023PTC068231	इट्यम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AC4363264	U25209MP2019PTC047609	कस्टन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
11	AC4434241	U47300MP2023PTC067975	श्री गणेशाय पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड
12	AC4600385	U72900MP2022PTC060588	लर्न एंड अर्न टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
13	AC4640342	U80903MP2022PTC060467	कॉम्पिटिशन एग्जामपीडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
14	AC4324787	U67100MP2021PTC058845	बघेल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
15	AC4419606	U24290MP2021PTC058221	हेलिक्समोल्डएक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AC4250813	U40106MP2022PTC059037	न्यूट्रल फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AC3905739	U01100MP2021PTC058348	अनुदेशक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
18	AC4387483	U36990MP2022PTC059020	एथिया लॉरेंस प्राइवेट लिमिटेड
19	AC4429673	U23209MP2021PTC056807	किशन फ्यूचर फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AC4450555	U24239MP2020PTC052511	जयसिंघानी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
21	AC4636608	U74999MP2019PTC049695	कामदगिरिपे टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
22	AC4282774	U72900MP2019PTC047958	हाउसोफाई टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
23	AC4390968	U80902MP2019PTC048738	सवृद्ध इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
24	AC4311035	U93000MP2018PTC046625	नॉवल स्टाफिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
25	AC4655680	U93090MP2018PTC045692	स्पास सिक्योरिटी एंड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
26	AC4317392	U17309MP2017PTC044289	मार्डी ग्रास लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
27	AC4630980	U72900MP2016PTC035221	मिसाल टेक्नो सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
28	AC4322172	U72200MP2015PTC034122	ग्रैविटॉन सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड
29	AC4198528	U52322MP2013PTC031734	देवी साड़ीज़ एंड ड्रेस मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
30	AC4295249	U45200MP2013PTC030865	सेंटपरसेंट बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
31	AC4603720	U74900MP2012PTC027838	इंडियाना365 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
32	AC4347891	U70101MP2011PTC026230	राज रतन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
33	AC4350610	U25202MP2010PTC024309	प्लास्टिको फैब (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
34	AC4525594	U74900MP2008PTC021019	बियॉन्डशोर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AC4653837	U45201MP1985PTC003169	21वीं सेंचुरी कंस्ट्रक्शंस एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
36	AC4624221	U45202MP1993PTC007850	सपनिधि डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AC4533715	U45201MP1994PTC008453	सम्यक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अत: कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/ अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है.

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है.

4. यदि किसी व्यक्ति/ संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/ संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं.

इरकन तिर्की
उप-पंजीयक
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र

सीबीसी- 07123/11/0418/2627